न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 2017–पीबीआर/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 28–5–15 पारित द्वारा आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद प्रकरण कमांक 271/अपील/2012–13 .

1– उषाबाई बेवा रेवाराम गाडरी
2– विनोद वल्द रेवाराम गाडरी
3– प्रमोद वल्द रेवाराम गाडरी
4– अनीता पिता रेवाराम गाडरी
5– नीलू पिता रेवाराम गाडरी
6– जयवन्ती बेवा परसराम गाडरी
7– रेणु पिता राजेन्द्र नाबालिग
वली नानी जयवन्ती बेवा परसराम
8– अन्जू पिता परसराम गाडरी
निवासीगण ग्राम बांगा
तहसील आमला जिला बैतूल .....आवेदकगण

विरूद्ध

1– पतंगी वल्द साहबू गाडरी
निवासी ग्राम बांगा
तहसील मुलताई जिला बैतूल
2– लक्ष्मण यादव आत्मज भजनी यादव
3– चन्द्रशेखर आत्मज धन्नूलाल यादव
निवासीगण पटेल वार्ड
गौली मोहल्ला सदर बैतूल .....अनावेदकगण

श्री यशवन्त साहू, अभिभाषक, आवेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 15/9/16 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–5–15 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम लिखडी स्थित भूमि सर्वे कमांक 301/2, 315/2, 315/4, 315/6 कुल रकबा 5.330 हेक्टेयर भूमि का संशोधन पंजी कमांक 44 पर राजस्व निरीक्षक, आमला द्वारा प्रमाणीकरण आदेश दिनांक 28–1–87 के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, मुलताई के समक्ष प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक 90/अ–6/2011–12 दर्ज कर दिनांक 9–4–2013 को आदेश पारित कर अपील स्वीकार की गंई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत किये जाने पर आयुक्त द्वारा दिनांक 28–5–15 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त करते हुए अपील स्वीकार की गई । आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ प्रकरण में पेशी दिनांक 30–6–2016 को इस निर्देश के साथ आदेशार्थ रखा गया था कि आवेदकगण के अभिभाषक सात दिवस में लिखित तर्क प्रस्तुत करेंगे, परन्तु उनके द्वारा आज दिनांक तक लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किये गये हैं । अतः प्रकरण का निराकरण आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा निगरानी मेमों में उठाये गये आधारों पर किया जा रहा है । आवेदकगण की ओर से निगरानी मेमों में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) आयुक्त द्वारा इस महत्वपूर्ण विधिक बिन्दु की ओर सूक्ष्मतापूर्वक पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है कि आवेदकगण के पूर्वज भारत ने अपनी स्व अर्जित धनराशि से प्रश्नाधीन भूमि पंजीकृत विकय पत्र दिनांक 31–5–1948 द्वारा कय कर स्वत्व, स्वामित्व, शांतिपूर्ण भौतिक आधिपत्य प्राप्त कर अपने मृत्यु पर्यन्त 1962 तक काबिज रहे, और अधिकार अभिलेख वर्ष 1971–72 संशोधन पंजी कमांक 42 पर आवेदकगण के पूर्वज भारत का नाम दर्ज है । भारत की मृत्यु उपरांत 1962 से उसके विधिक वारिसान आवेदकगण का प्रश्नाधीन भूमि पर अविरत स्वत्व, स्वामित्व, शांतिपूर्ण आधिपत्य चला आ रहा है । इस आधार पर कहा गया कि अनावेदकगण का प्रश्नाधीन भूमि पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कोई संबंध नहीं है ।

(2) आवेदकगण की भूमि पर अनावेदकगण ने छलकपटपूर्वक, धोखाधड़ी एवं जालसाजी कर गुपचुप अवैधानिक तरीके से आवेदकगण को सूचना दिये बगैर, बिना इस्तहार का प्रकाशन कराये तहसीलदार व पटवारी से मिलीभगत कर संशोधन पंजी कमांक 44

प्रमाणीकरण आदेश दिनांक 18–4–87 द्वारा नोखेलाल का विधिक वारिसान बताते हुए आवेदकगण की पैतृक भूमि में शामिलात में अधिकारिता विहीन आदेश द्वारा नाम दर्ज करवा लिया गया है, जिसे निरस्त करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विधिसंगत कार्यवाही की गई है ।

(3) आयुक्त द्वारा आवेदकगण के दादा भारत की स्वअर्जित भूमि को अनावेदकगण की पैतृक भूमि मानकर पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 31–5–1948 का परिशीलन किये बगैर एकांगी मानसिकता से आलोच्य आदेश पारित करने में वैधानिक भूल की गई है ।

(4) विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि एक बार नामांतरण हो जाने के पश्चात पुनः नवीन नामांतरण संशोधन नहीं किया जा सकता है, किन्तु तहसील न्यायालय द्वारा अनुविभागीय अधिकारी से नवीन नामांतरण हेतु पुनर्विलोकन की अनुमति प्राप्त नहीं की गई है, और वैधानिक प्रावधानों को अनदेखा करते हुए संहिता की धारा 109, 110 तथा नामांतरण नियम 27 के वैधानिक आदेशात्मक प्रावधानों का पालन किये बगैर आवेदकगण के साथ शामिलात में अनावेदकगण के नाम दर्ज करने के आदेश दिये गये हैं, जो कि प्रथम दृष्टया शून्य, अवैध एवं प्रभावहीन है, और वैधानिक दृष्टि से ऐसे आदेश को किसी भी समय चुनौती दी जा सकती है ।

(5) आयुक्त ने ओर भी कोई ध्यान नहीं दिया है कि प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में निष्पादित पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर आवेदकगण के पक्ष में पूर्व में हुए संशोधन कमांक 42 को अनावेदकगण द्वारा आज तक कोई चुनौती नहीं दिये जाने से वह अंतिम हो चुका है एवं संशोधन पंजी कमांक 42 की पश्चातवर्ती प्रकम पर संशोधन पंजी कमांक 44 पर पारित प्रमाणीकरण आदेश अधिकारित विहीन, शून्य, अवैध एवं प्रभावहीन है ।

(6) प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदकगण का कोई स्वत्व नहीं है, और व्यवहार न्यायालय से स्वत्व की डिक्री प्राप्त किये जाने पर ही रिवीजन संशोधन पंजी कमांक 42 को चुनौती दी जा सकती है, राजस्व न्यायालय को अनावेदकगण का प्रश्नाधीन भूमि में स्वत्व निर्धारण का क्षेत्राधिकार नहीं है ।

4/ अनावेदकगण के विरूद्ध सूचना उपरान्त अनुपस्थित रहने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

5/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा निगरानी मेमों में उठाये गये आधारों के सदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमियों

के संबंध में व्यवहार वाद क्रमांक 24 अ/01 दिनांक 8–9–2001 प्रस्तुत किया गया था, जिसमें व्ययवहार न्यायाधीश द्वारा दिनांक 10–12–2013 को आदेश पारित कर राजस्व न्यायालय द्वारा किये गये बटवारे को विधि अनुसार मान्य किया गया है । अर्थात रेवाराम के विरूद्ध आदेश पारित किया गया है । अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त करने में पूर्णतः अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है । यहां यह भी उल्लेखनीय है कि बटवारे की जानकारी आवेदकगण को होने के पश्चात भी उनके द्वारा अत्यधिक विलम्ब से अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई है, जो कि स्पष्टतः अवधि बाह्य थी, और अवधि बाह्य अपील में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा गुण–दोष पर आदेश पारित करने में विधि की गंभीर भूल की गई है । ऐसी स्थिति में आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त करने में किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं की गई है, इसलिए उनका आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–5–15 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर